

an>

Title: Introduction of the Lokpal and Lokayuktas and Other Related Law (Amendment) Bill, 2014.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up Item No. 20.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करने तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 and further to amend the Delhi Special Police Establishment Act, 1946."

*The motion was adopted.*

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।